



2026:AHC:16359

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2273 वर्ष 2026

अंकुर कुमार सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. श्री प्रदीप कुमार सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राम मोहित यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा **मुकदमा अपराध** संख्या 193 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता, थाना-हल्दी, जनपद-बल्लिया में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो दिन की विलम्ब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आगे यह भी तर्क दिया गया कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मृतक का शव घटना के तीन दिन बाद बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पूर्व मृत्यु झूबने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध पाया गया है, जिससे प्राथमिकी में लगाए गए आरोप असत्य प्रतीत होते हैं।
6. आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक दिनांक 27.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क, अपराध की प्रकृति, दण्ड की गंभीरता, प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा मृत्यु का कारण पूर्व मृत्यु डूबने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध पाया गया है, प्रथम दृष्टया यह न्यायालय पाता है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।
9. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **अंकुर कुमार सिंह**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

22 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।